

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या :- 11, रायसिंहनगर
(न्यायालय:- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर)
जिला अनुपगढ न्यायक्षेत्र श्रीगंगानगर

नानकसिंह बनाम बलदेवसिंह आदि
वाद सं. 158/2019 जी.सी.एम.एस. : 2019/00371
अन्तर्गत 53-92ए-209 आरटीएक्ट

13.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/एनएलए/2024/46 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैच सं. 11 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा दिनांक 13.07.2024 को उपस्थित होकर वाद पत्र लोक अदालत की भावना से विद्धो करने हेतु निवेदन किया है कि पक्षकरान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। हम आगे प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वादी के वाद पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे है,

जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैच को निस्तारण हेतु रैफर की है। चूंकि प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

डॉ. पवन कुमार बिश्नोई,
अति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर
(अध्यक्ष)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अंकित मीमानी
नायब तहसीलदार मुकलावा
तहसील रायसिंहनगर।
(सदस्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

